

सूरह निसा – 4

ये सूरत मदनी है

Disclaimer:

Arshad Basheer madani ke urdu books ko Roman English mai lane wale ahbab Mubarakbadi ke mustahiq hai ke unoun ne asan kia urdu reading Na janne Waloun ke liye

الحمد لله

فجزاكم الله خيرا

Note : arshad basheer madani ne Word to Word check nahi kia Kiunke bohot books ko roman Kia gaya un sab ko Check karna asan nahi, time ka commitment deegar Urdu books Aur syllabus par laga huva hai is liye badi mazirat ke sat arz hai ke jahan kahin apko pronounciation ya talaffuz mai Diqqat lage Urdu Janne Waloun se asal Kitab ki taraf rujoo farmaen in sha Allaah in sha Allaah

Askislampedia ki Team ka shukriya ke Roman mai book lane mai madad faramee

Khas tour se

Riaz bhai , shaikh abdullah Umeri, faheem iqbal , Mushtaq ahmed Aur baz sisters bhi hain jo madad kie Aur kuch brothers bhi madad kie Likin ijazat nahi hai ke unka naam zikr Kia jae Allaah qabool farmae sab ki mahant

Ameen

Shukriya

Shoba e nashro ishaat,

Askislampedia

बाज़ अहदाफ

- ❖ इस सूरत का हृदय है कमजोरों के साथ इन्साफ और शफखत का मुआमला करना।
- ❖ चार बुनियादी बातें जिनका इख्तियार करना खानदानी निज़ाम की बहाली के लिए इन्तेहाई ज़रूरी है:
 - ये अखीदा रखा जाये के अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही की इबादत की जाये, इसके साथ शरीक न किया जाये। (खालिस तौहीद)
 - नबी ﷺ के बतलाये हुए तरीखे को अपनाया जाये। (इत्तेबा ए रिसालत)
 - मरने के बाद होने वाले हिसाब किताब की फिकर की जाये। (तौहीद, रिसालत के बाद अखीदा आखिरत व फिकरे आखिरत)
 - हुखूख व ज़िम्मेदारियां अदा की जाएँ।
- ❖ किसी भी मुआशरे को सहत मंद रखने के लिए, ये चार बुनियादी बातें हैं, अगर ये न हो तो ऐसा ही होगा, जैसे पूरा Europe broken family system और फितरी मांग पूरी न होने की वजह से मायूसी का शिकार हो चुका है। (32) इंसानियत और हमदरदी, रिश्तेदारी और भाई चारगी मफखूद है।
- ❖ इस सूरत में कई कमजोरों से मुताल्लिख बहस की गयी। मसलन: यतीम, औरतें, लौंडी, घुलाम, ग़ैर मुस्लिम खवातीन जो मुसलमानों के दरमियान रहती हैं। (निसा:2-9)
- ❖ हुखूख ए निस्वान पर सूरह निसा बहुत बड़ी दलील है।

32 (पढ़िए: अल हुखूख – इन्ने उसैमिन / हुखूख व फरायेज़-शेख सलाहुद्दीन यूसुफ़)

बाज़ मौज़ूआत

1. तमाम इंसानों की असल एक ही है, सिला रहमी की तालीम। (1)
2. यतीमों के अहकाम और तादुदे ज़िवाज का तज़किरह और महर का हुकुम। (2-6)
3. विरासत के अहकाम। (7-8)
4. और यतीमों का माल बातिल तरीखे से खाने की हुरमत का बयान। (9-10)
5. विरासत के अहकाम। (11-12)
6. अल्लाह के अहकाम की इतात करने वालों का सवाब और ना फ़रमानी करने वालों का अंजाम। (13-14)
7. मंसूख होने से पहले ज़िना की सज़ा। (15-16)
8. मखबूल तौबा और ग़ैर मखबूल तौबा का तज़किरह। (17-18)
9. औरतों के हुखूख का तज़किरह। (19-21)
10. महरिम औरतों का तज़किरह और महर के वुजूब का तज़किरह। (22-24)
11. आज्ञाद लोगों की शादी लौंडियों से करने की मुमानियत मगर चंद शुरूत के साथ। (25)
12. बन्दों पर अल्लाह के इनामात का तज़किरह। (26-28)

13. मुसलमानों के जान व माल की हुरमत का बयान| (29-30)
14. कबीरह गुनाहों से बचने के बदले सधीरह गुनाह माफ़ हो जाते है और ये दुखूल ए जन्नत का ज़रिया भी है| (31)
15. तमन्नाओं पर एतेमाद करने से रोका गया और अमल पर एतेमाद करने और तख्दीर पर राज़ी रहने की तल्खीन की गयी| (32-33)
16. आइली अहकामात बयान किये गए| (34-35)
17. एक अल्लाह की इबादत और उसके बन्दों से हुस्ने सुलूक करने का हुकुम| (36)
18. बुखल और रिया कारी की मज़म्मत| (37-38)
19. अल्लाह का अदल और उसके फ़ज़ल का बयान और जो कुफ़ करे उसके लिए वईद| (40-42)
20. नमाज़ की चंद शुरुत का बयान| (43)
21. यहूद की खबाहतों, गुमराहियों और उनकी सज़ा का बयान| (44-45)
22. काफ़िरों की सज़ा और मोमिनों की जज़ा का बयान| (56-57)
23. अमानत की अदायगी का वजूब, अदल का हुकुम, अल्लाह, उसके रसूल ﷺ और उलुल अम्र की इतात का हुकुम| (58-59)
24. मुनाफ़िखीन का तज़किरह| (60-68)
25. इतात करने वालों का सवाब और उनका मुखाम| (69-70)
26. इस्लाम में दिफा ए जिहाद के उसूल और मुनाफ़िखीन का मौखिफ| (71-84)
27. शफाअत ए हसना और शफाअत ए सय्यिअह का बयान| (85-86)
28. खियामत का दिन हख है| (87)
29. मुनाफ़िखों के मुआमले में लोगों की दो खिस्में और उनसे मुआमले की कैफियत| (88-91)
30. ग़लती से खतल कर देने और अमदन खतल करने का हुकुम| (92-93)
31. अल्लाह के अहकाम में साबित खदम रहने का हुकुम खास तौर पर दिफा में| (94)
32. मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत और मुस्तफ़ज़ीन के अलावा जिहाद से पीछे रह जाने वालों के लिए वईद| (95-99)
33. अल्लाह की राह में हिजरत करने की फ़ज़ीलत| (100)
34. नमाज़ ए खसर और सलातुल खौफ के अहकामात| (101-103)
35. नबी ﷺ को लोगों के फैसला करने के दौरान अदल व इन्साफ करने का हुकुम| (104-113)
36. जुबान के नुखसानात से बचने का हुकुम और फ़ायदा मंद बात की फ़ज़ीलत का ज़िक्र, रसूल ﷺ और मोमिनीन के तरीखे की मुखालिफत करने का अंजाम| (114-115)
37. शिर्क और शैतान के खतरे (116-121)
38. ईमान और अमल ए सालेह का बयान| (122-126)
39. औरतों और मुआशरे के बाज़ अहकामात| (127-130)
40. हर चीज़ की मिलकियत में अल्लाह की वहदानियत का बयान| (131-134)

41. इन्साफ करने का हुकम, ईमान और अरकान ए ईमान का बयान| (135-136)
42. मुनाफिखीन का तज़किरह और काफिरों की दोस्ती से मुमानियत| (137-147)
43. मज़लूम ज़ालिम की बुराई बयान कर सकता है| (148-149)
44. काफिरों के बाज़ आमाल और उनकी सज़ा का बयान| (150-151)
45. मोमिन का अमल और उसके सवाब का बयान| (152)
46. अम्बिया के साथ बनी इस्राईल का सुलूक, उनकी अहद शिकनी और उनकी सज़ा का तज़किरह| (153-161)
47. बनी इस्राईल के मोमिन लोगों का तज़किरह| (162)
48. तमाम रसूलों के जानिब एक ही वही की गयी और उसकी हिकमत बताई गयी| (163-166)
49. काफिरों की सज़ा का बयान| (167-170)
50. अहले किताब को दीन में और ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू करने से मना किया गया| (171-173)
51. इलाखायी भाई के वारिस के अहकामात| (176)

बाज़ अस्बाख

1. मगरिब में हुखूख ए निस्वान से मुताल्लिख खवानीन 1945 के बाद बने, जबके 14 सौ साल पहले ही हुखूख ए निस्वान इस्लामी तालीमात का एक अटूट हिस्सा बन चुके है| 33
2. औरत के साथ हुसने सुलूक की तालीमात दी गयी: (निसा:19-21,34)
3. दाखिली और खारिजी मसाइल का हल पेश किया गया|
4. खानदान से लेकर मुआशरे तक, दाखिली अमन से लेकर खारिजी महूल और मुल्क के अमन तक का बयान है|
5. हुखूख व फ़राइज़ सालेह व मुफीद मुआशरे की जड़ है|
6. इस सूरत की इब्तेदा में बताया गया है सब इन्सान एक नफ्स से पैदा किये गए है, तो फिर वो कैसे एक दूसरे पर ज़ुल्म कर सकते है| 34
7. इस सूरत का नाम 'अन निसा' रखना दर असल औरत की तकरीम की दलील है, ये इसलिए के औरत इंसानियत का एक अहम किरदार है और इसलिए भी के औरत बच्चों की परवरिश करती है, यहाँ तक के वो जवान हो जाता है|
8. बच्चों की तरबियत, पैदाइश के बाद शुरू नहीं होती, बलके उस दिन ही हो जाती है जब बच्चे की माँ का इत्तेखाब अमल में आता है| 35
9. इस सूरत की एक खुसूसियत ये भी है के आयतों का इख्तेताम अल्लाह के अस्मा से होता है, तखरीबन 42 अस्मा का ज़िकर हुआ है| चूँके ये नाम मुताखाज़ी है इस लिए अदल को अहमियत दी गयी|

10. जब अल्लाह हमारा खालिख, मालिक और मुरब्बी है तो फिर इबादत और इतात भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए।
11. यतीम का माल ना जाएज़ तरीखों से खाना गुनाह है।
12. माल के तसर्हफ़ के लिए आखिल होना ज़रूरी है।
13. फौत शुदा अफराद के माल की हिफाज़त तख्सीम तरके की शकल में होती है।
14. अहकाम शरिया अल्लाह की हिकमत पर मबनी है।
15. खवातीन के माल और उनके हुखूख की पासदारी करना ज़रूरी है।
16. अल्लाह ताला के अहकाम में सख्ती नहीं क्यों के इंसान कमज़ोर है।
17. नजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी में है।
18. शिर्क एक ना खाबिले माफ़ जुर्म है।
19. अल्लाह और उसके रसूल की इतात वाजिब और उलमा व उमरा की इतात मशरूत वाजिब है।
20. इस्लाम के दिफ़ा के लिए कुरआनी तालीमात है के हर मुमकिन हत्यार से लैस रहना चाहिए।
21. कुरआन मजीद किसी भी खिसम के तारुज़ से पाक है।
22. इख्तेलाफ के वख्त कुरआन व सुन्नत की तरफ लौटना चाहिए।
23. एक मुसलमान को तख्वा व तहारत की ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिए।
24. अजर व सवाब निय्यत के हिसाब से मिलेगा।
25. हालत ए जंग में भी नमाज़ जमात के साथ अदा करना वाजिब है।
26. हालत ए अमन में भी नमाज़ को वख्त पर अदा करना ज़रूरी है।
27. लोगों के दरमियान सुलह करना बहुत बड़ी नेकी है।
28. रसूल ﷺ और सहाबा एकराम के मन्हज पर चलना वाजिब है।
29. ईमान और अमल ए सालेह जन्नत में दाखिले की कुंजी है।
30. तालीखी हय्यियत में तब्दीली करना शैतान का काम है।
31. ईमान और अमल ए सालेह के बघैर सिर्फ आरज़ू से जन्नत नहीं मिलेगी।
32. मुहम्मद ﷺ को खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का हुकुम दिया गया।
33. यतीम लड़कियों की किफालत करने वाला उनसे शादी कर सकता है, ब शर्त के वो महार अदा करे।
34. खाविन को अपनी बीवियों में इन्साफ से काम लेना चाहिए।
35. अल्लाह ताला हर चीज़ पर खादिर है, लिहाज़ा उसकी ना फ़रमानी से बचो।
36. सच्ची गवाही को छुपाना जाएज़ नहीं ख्वाह किसी के खिलाफ हो।
37. काफिरों और मुनाफिखों से दोस्ती करने में ज़िल्लत है।
38. गुनाह की मजलिसों में बैठना भी गुनाह है, इल्ला ये के इस्लाह की घर्ज़ से हो।
39. मोमिन का ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए।
40. मुनाफिख की तौबा इखलास ए निय्यत और इस्लाह ये खौल व अमल की शर्त पर मखबूल है।

41. काफिरों से दोस्ती मना है।
42. बुरे का चर्चा करना हराम है, इल्ला ये के जुल्म को बयान करना हो।
43. अहले किताब से दुनियावी मुआमलात कर सकते है।
44. वो अमल जिसकी बुनियाद तखरूब ए इलाही हो, वो नफा बख्श इल्म है।
45. वो दुनियावी इल्म जो हख और आखिरत के रास्ते में रुकावट हो जाएज़ नहीं।
46. दीन में घुलू करना दीन ए हख से इन्हेराफ है।
47. ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम फ़रिशते अल्लाह के बन्दे है।
48. ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा कहना, उनकी शान में घुलू करना है।
49. जब भी इंसान फितरत ए सलीमा से दूर हो जाए तो इसकी तरघीब व तरहीब के ज़रिये इस्लाह करनी चाहिए।

मुनासिबत / लतैफुत तफसीर

- ❖ सूरह निसा में अक्सर यहूद का ज़िकर है, जबके सूरह माइदा में अक्सर नसारा का ज़िकर है।
- ❖ अगर सूरह निसा ही तरजुमा करके Europe में फैला दिया जाए तो कितने ही लोगों को हिदायत नसीब हो सकती है। जो broken family syatem से परेशान और depression का शिकार है, उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए के अल्लाह का नाज़िल करदा निज़ाम ही उस अल्लाह की ज़मीन के लिए suitable है और इंसान का वज़ा करदा निज़ाम इस ज़मीन के लिए suitable नहीं, इस बात की तस्दीख के लिए पढ़िए - कलमा पढने वालों की दास्तानें – मैंने इस्लाम क्यों खबूल किया?
- ❖ सूरह निसा में ताव्वुन पर मबनी मुआशरे (cooperative society) के लिए जामे उसूल बयान किये गए है।

हिफज़ व तदब्बुर आयात व हदीस बराए तज़कीर, तज़किया, दावत और इस्लाह

आयत 1: खाल ताला: (-----) (अन निसा:1)

तरजुमा: ऐ लोगों! अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हे एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दिए, उस अल्लाह से डरो, जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बे शक अल्लाह ताला तुम पर निगेहबान है।

आयत 2: खाल ताला: (-----) (अन निसा:48)

तरजुमा: यखीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक करने, किये जाने को नहीं बखशता और उसके सिवा जिसे चाहे बखश देता है और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुखरर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बाँधा।

हदीस: (-----) (सुनन नसाई:3106, सहीह)

तरजुमा: मुआविया बिन जहिमा सलमा से रिवायत है के जहिमा रज़िअल्लाहुअन्हु नबी ए करीम ﷺ के पास आये, और अर्ज़ किया: अल्लाह के रसूल! मैं जिहाद करने का इरादा रखता हूँ, और आप के पास आपसे मशवरा लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप ﷺ ने (उनसे) पूछा: क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? उन्होंने कहा: जी हाँ। आप ने फरमाया: उन्ही की खिदमत में लगे रहो, क्यों के जन्नत उनके दोनों खदमों के नीचे है।